# इस्लाम में अपराध और सजा (2 का भाग 2)

**रेटिंग:**

**विवरण:** ??? ?? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? ?? ??????????

**श्रेणी:** पाठ › इस्लामी जीवन शैली, नैतिकता और व्यवहार › सामान्य नैतिकता और व्यवहार

**द्वारा:** Imam Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

**प्रकाशित हुआ:** 08 Nov 2022

**अंतिम बार संशोधित:** 07 Nov 2022

उद्देश्य

- हद्द अपराधों, प्रतिकार और विवेकाधीन दंड के लिए निर्धारित दंड के बारे में जानना।
- इस्लामी दंड व्यवस्था के तीन उद्देश्यों के बारे में जानना।

अरबी शब्द

- *????* - निश्चित अपराध।
- *?????* - अनिश्चितता।
- *??????* - अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर सुन्नत शब्द के कई अर्थ हैं, हालांकि आम तौर पर इसका अर्थ है जो कुछ भी पैगंबर ने कहा, किया या करने को कहा।

# इस्लामी कानून में सजा के प्रकार

## 1-हद्द अपराधों के लिए निर्धारित सजा

हद्द अपराधों के लिए निश्चित, अनिवार्य दंड है जो क़ुरआन या पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया और आशीर्वाद हो) की सुन्नत पर आधारित है। इन दंडों को निर्धारित करने की संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के हानिकारक कृत्यों को रोकना है।

हद्द अपराधों के कानून की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि पंथ ने दोषसिद्धि को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह तीन कारकों से प्राप्त किया जाता है:

(1)इन अपराधों को साबित करने के लिए सबूत के सख्त नियम।

(2)अधिकांश परिस्थितियों में कठोर दंड को स्थगित करने के लिए अपराधों के निर्धारण में शुबहा (अनिश्चितता) की धारणा का व्यापक उपयोग।

(3)उन अपराधों की परिभाषा को सीमित करना जो सख्त निर्धारित दंड देते हैं ताकि किई समान उल्लंघन दायरे से बाहर हो जाएं और उन्हें निश्चित दंड से दंडित नहीं किया जा सके, लेकिन केवल न्यायाधीश के विवेक के आधार पर।

निश्चित दंड वाले अपराध हैं:

·चोरी

·राजमार्ग डकैती

·अवैध संभोग

·ग़ैरक़ानूनी संभोग का निराधार आरोप (निंदा, बदनामी, मानहानि)

·शराब पीना

·धर्मत्याग

जब कोई मुस्लिम ऐसा बयान देता है या ऐसी कार्य करता है जिससे वह इस्लाम से बाहर हो जाये, तो उसे धर्मत्याग कहते हैं। इसकी सजा पैगंबर मुहम्मद के समय मौजूद समस्याओं के लिए एक उपाय के रूप में थी। धोखेबाजों का एक समूह सार्वजनिक रूप से इस्लाम में प्रवेश करता और फिर उसे छोड़ देता

ताकि विश्वासियों के बीच अनिश्चितता पैदा हो और आम लोगों की आस्था पर सवाल उठाया जा सके। क़ुरआन इस वास्तविकता से संबंधित है:

**"पवित्रशास्त्र के एक समुदाय ने कहा कि दिन के आरंभ में उसपर ईमान ले आओ, जो ईमान वालों पर उतारा गया है और उसके अन्त (अर्थातः संध्या-समय) कुफ्र कर दो, संभवतः वे फिर जायें।'" (क़ुरआन 3:72)**

इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए धर्मत्याग के लिए निर्धारित दंड की व्यवस्था की गई थी।

### 2-**प्रतिकार**

यह इस्लामी कानून में सजा का एक अन्य रूप है। अपराध के अपराधी को उसी चोट के साथ दंडित किया जाता है जो उसने पीड़ित को दिया था। यदि अपराधी ने पीड़ित को मार डाला है, तो अपराधी को भी मार दिया जाता है। यदि उसने पीड़ित के एक अंग को काट दिया है या उसे घायल कर दिया है, तो अपराधी को मारे बिना संभव है तो उसका अंग काट दिया जाएगा या घायल कर दिया जाएगा। इसे निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है।

### 3-**विवेकाधीन दंड**

ये ऐसी सजाएं हैं जो इस्लामी कानून द्वारा तय नहीं की गई हैं। ये उन अपराधों के लिए हैं जो या तो अल्लाह के अधिकारों या किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इसके लिए क़ुरआन या सुन्नत में निश्चित दंड या निर्धारित प्रायश्चित नहीं है। ये सबसे लचीले प्रकार की सजा हैं क्योंकि ये समाज की जरूरतों और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। इस्लामिक कानून ने विभिन्न प्रकार के विवेकाधीन दंडों को परिभाषित किया है जिसमें फटकार से लेकर कोड़े मारने, मौद्रिक जुर्माना और कारावास शामिल है।

# इस्लामी दंड व्यवस्था के उद्देश्य

**पहला उद्देश्य**: इस्लाम समाज को अपराध से **बचाना** चाहता है। बड़े पैमाने पर आपराधिक व्यवहार समाज को रहने के लिए असुरक्षित बनाते हैं और अगर इन्हे अनियंत्रित छोड़ दिया जाये तो यह व्यक्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल देते हैं। इस्लाम सामाजिक एकता और **सुरक्षा** स्थापित करना चाहता है, जिससे **शांति** को बढ़ावा मिल सके। इसमें विधायी दंड हैं जो अपराध को हतोत्साहित करने के लिए हैं। इस उद्देश्य का उल्लेख निम्नलिखित छंद मे किया गया है जो प्रतिशोध और समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा करता है:

**“और ऐ समझ वालो! तुम्हारे लिए प्रतिकार मे जीवन (का संरक्षण) है, ताकि तुम रक्तपात से बचो।” (क़ुरआन 2:179)**

कोई अपराध करने से पहले दो बार सोचेगा यदि उसे अपने अपराध के नकारात्मक परिणामों का पता हो। सजा के बारे में जागरूकता अपराधी को दो तरह से अपराध करने से रोकता है:

ए)वह अपराधी जो पहले से ही सजा के अधीन है, इसकी अधिक संभावना है कि वह फिर से अपराध नहीं दोहराएगा।

बी)जहां तक शेष समाज की बात है, इस सजा के प्रभावों के बारे में उनकी जागरूकता उन्हें अपराध में पड़ने से बचाएगी।

आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए, इस्लाम को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने की आवश्यकता है कि क़ुरआन के छंद के आधार पर इसे कब किया जाएगा:

**“...दंड के समय उपस्थित रहे विश्वासियों का एक समूह।” (क़ुरआन 24:2)**

**दूसरा उद्देश्य**: इस्लाम का उद्देश्य वास्तव में अपराधी को **सुधारना** है। क़ुरआन अक्सर अपराधों के साथ **पश्चाताप** का उल्लेख इस तथ्य को उजागर करने के लिए करता है कि पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला रहता है। कुछ मामलों में, इस्लाम ने पश्चाताप को एक निश्चित सजा को माफ करने का एक साधन बना दिया है। उदाहरण के लिए, राजमार्ग डकैती की सजा के संदर्भ में, अल्लाह क़ुरआन मे कहता है:

**“...परन्तु जो पश्चाताप बा (क्षमा याचना) कर लें, इससे पहले कि तुम उन्हें अपने नियंत्रण में लाओ, तो तुम जान लो कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।” (क़ुरआन 5:34)**

व्यभिचार की सजा के बारे में अल्लाह कहता है:

**“जब वे पश्चाताप (क्षमा याचना) कर लें और अपना सुधार कर लें, तो उन्हें छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह पश्चाताप को स्वीकार करने वाला, दयावान् है।” (क़ुरआन 4:16)**

झूठे आरोप की सजा के बारे मे बताने के बाद अल्लाह कहता है:

"... सिवाय उन लोगों के जो बाद में **पश्चाताप** कर लें और सुधार कर लें, तो निश्चय ही अल्लाह क्षमा करने वाला, दयावान है।"

चोरी के लिए निर्धारित सजा का उल्लेख करने के बाद अल्लाह यह भी कहता है:

**"फिर जो अपने अत्याचार (चोरी) का पश्चाताप (क्षमा याचना) कर ले और अपने को सुधार ले, तो अल्लाह उसके पश्चाताप को स्वीकार कर लेगा। निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।" (क़ुरआन 5:39)**

यह उद्देश्य विवेकाधीन दंडों के लिए अधिक प्रासंगिक है जहां न्यायाधीश अपराधी की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है और उसके सुधार को सुनिश्चित करता है।

**तीसरा उद्देश्य:** दंड अपराध की एक **प्रतिपूर्ति** है। समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधी के साथ हल्का व्यवहार करना अवांछनीय है। अपराधी को उसकी उचित सजा मिलनी चाहिए। सुरक्षित रहना समाज और उसके व्यक्तिगत सदस्यों का अधिकार है। क़ुरआन इस उद्देश्य का उल्लेख कई दंडों के साथ करता है। उदाहरण के लिए, अल्लाह कहता है:

**"चोर, पुरुष और स्त्री दोनों के हाथ काट दो, उनके करतूत के बदले..." (क़ुरआन 5:38)**

**"जो लोग ल्लाह और उसके दूत से युद्ध करते हों तथा धरती में उपद्रव करते फिर रहे हों, उनका दंड ये है कि उनकी हत्या की जाये तथा उन्हें फांसी दी जाये अथवा उनके हाथ-पैर विपरीत दिशाओं से काट दिये जायें अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाये। ये उनके लिए संसार में अपमान है तथा परलोक में उनके लिए इससे बड़ा दंड है।..." (क़ुरआन 5:33)**

इस लेख का वेब पता

https://www.newmuslims.com/hi/articles/334

कॉपीराइट © 2011 - 2024 NewMuslims.com. सर्वाधिकार सुरक्षित।